चित्रकूट-पुलिस

(1). □“मिशन शक्ति फेज-5.0: महिलाओं की सुरक्षा व स्वावलंबन की नई पहल — जनपद चित्रकूट में महिला सुरक्षा, सम्मान, स्वालंबन, को समर्पित “मिशन शक्ति अभियान-5.0’□

सम्मान, स्वालंबन को समर्पित मिशन शक्ति फेज-5.0’ पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में अपराध निरीक्षक भरतकूप श्री अभयराज, महिला आरक्षी श्रुतिका, महिला आरक्षी अंजू, महिला आरक्षी प्रीति द्वारा भरतकूप मंदिर में, अपराध निरीक्षक कोतवाली कर्वी श्री राजकुमार ,महिला आरक्षी आरती, महिला आरक्षी रागिनी , आरक्षी कुलदीप द्विवेदी द्वारा गंगा प्रसाद इंटर कॉलेज कर्वी में, थाना सरधुवा की एण्टीरोमियों टीम द्वारा प्राथमिक विद्यालय अरछा बरेठी में, थाना बहिलपुरवा की एण्टीरोमियों टीम द्वारा रेलवे स्टेशन बहिलपुरवा में,थाना मऊ की एण्टीरोमियों टीम द्वारा कस्बा मऊ में एवं थाना रैपुरा की एण्टीरोमियों टीम द्वारा कस्बा रैपुरा में एवं समस्त थानों की एन्टीरोमियो टीम द्वारा अपने-अपने थाना क्षेत्र में “मिशन शक्ति फेज-5.0 के तहत छात्र/छात्राओ, महिलाओं एवं बालिकाओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरुक किया गया तथा हेल्पलाइन नम्बरों व कानूनी प्रावधान के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई।

इस अभियान का मुख्य उद्देश्य महिलाओं/बालिकाओं की सुरक्षा, सम्मान एवं स्वावलंबन सुनिश्चित करना है-

1. जन-जागरूकता एवं शिकायत निस्तारण,स्कूल/कॉलेज, वर्किंग वूमेन हॉस्टल में जागरूकता कार्यक्रम,निम्न आय वर्ग बस्तियों,गांवों,वार्डों,मोहल्लों में चौपाल कार्यक्रम प्रमुख बाजारों,कस्बों व चौराहों पर जागरूकता व शिकायत निस्तारण।

2.महिला बीट पुलिस की भूमिका, प्रत्येक थाना क्षेत्र की महिला बीट पुलिस द्वारा जन-जागरूकता,साइबर अपराध से बचाव एवं साइबर हेल्पलाइन 1930 की जानकारी,महिला समस्याओं का त्वरित निस्तारण।

3.बालिकाओं एवं महिलाओं के लिए विशेष आत्मरक्षा प्रशिक्षण,गुड टच/बैड टच की जानकारी।

महिला/बालिकाओं को सुरक्षा सम्बन्धित सेवाएँ

1076 – मुख्यमंत्री हेल्पलाइन

1090 – वीमेन पावर लाइन

181 – वीमेन हेल्पलाइन

112 – पुलिस आपातकालीन सेवा

102 – गर्भवती महिलाओं एवं नवजात शिशुओं हेतु एम्बुलेंस

108 – सामान्य एम्बुलेंस सेवा

1098 – चाइल्ड लाइन

101 – अग्निशमन सेवा

1930 – साइबर हेल्पलाइन व www.cybercrime.gov.in के बारे में जानकारियां दी गई।

इस दौरान उपस्थित महिलाओं/बालिकाओं को अवगत कराया गया कि सभी थानों में महिलाओ की सुरक्षा/सहायता हेतु एक महिला हेल्पडेस्क बनाया गया है, जहाँ पर महिला पुलिसकर्मी द्वारा महिलाओं की शिकायत सुनी जाती है तथा समय से उनका निस्तारण किया जाता है। इसके साथ ही मौजूद महिलाओं/बालिकाओं को महिला सुरक्षा सम्बन्धी चलायी जा रही हेल्पलाइन नम्बरों के सम्बन्ध में पंपलेट वितरित करते हुए विस्तार से जानकारी देने के साथ ही सभी महिलाओं/बालिकाओं को हेल्पलाइन नम्बर का निर्भीक होकर उपयोग करने हेतु तथा महिलाओ को आत्मनिर्भर बनने व निर्भीक होकर अपने अपने क्षेत्र में कार्य करने/शिक्षा ग्रहण करने के लिये प्रेरित किया गया तथा सोशल मीडिया पर

अपनी प्राइवेसी रखते हुये उसका प्रयोग करने के लिये कहा गया । इसी क्रम में महिलाओं/बालिकाओ को जनपद में गठित "एंटी रोमियो स्क्वायड" टीम के बारे में अवगत कराया गया तथा बताया गया कि सादे वस्त्रों में तथा प्राइवेट वाहनों से सार्वजनिक स्थलों, स्कूल, कालेज व कोचिंग संस्थान के आसपास व ऐसे स्थान जहाँ पर महिलाओ एवं बालिकाओ का अधिकतर आवागमन होता है उनको भौतिक रुप से चिन्हित कर शोहदो/मनचलो के द्वारा Eve Teasing इत्यादि आपत्तिजनक हरकतो को रोकने के उद्देश्य से सघन चेकिंग कर लोगो से पूछताछ की जाती है व अनावश्यक रुप से मौजूद शोहदों/मनचलो को हिदायत/कार्यवाही की जाती।

(2). पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश महोदय द्वारा चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत माननीय न्यायालय में लम्बित चल रहे वादों में गहन पैरवी कर अपराधियों को अधिक से अधिक सजा कराने हेतु पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन प्रभारी निरीक्षक कोतवाली कर्वी श्री उपेन्द्र प्रताप सिंह एवं पैरोकार आरक्षी प्रशान्त कुमार तथा मॉनिटरिंग सेल प्रभारी प्रभुनाथ यादव व उनकी टीम द्वारा की गयी गहन पैरवी एवं सहायक शासकीय अधिवक्ता श्री सनद मिश्रा द्वारा की गयी प्रभावी प्रस्तुति एवं प्रभावी बहस के फलस्वरूप माननीय न्यायालय विशेष न्यायाधीश एस.सी./एस.टी कोर्ट श्री राममणि पाठक द्वारा आज दिनांक 17.10.2025 को थाना कोतवाली कर्वी में पंजीकृत मु0अ0सं0 244/2016 धारा 504 भादवि 3(1) घ एससी/ एसटी एक्ट के आरोपी अभियुक्तगण 1. दिनेश कुमार पुत्र रामकृपाल 2. अखिलेश उर्फ पट्टू पुत्र रामकृपाल निवासी दहिनी थाना कोतवाली कर्वी जनपद चित्रकूट को 01 वर्ष के सश्रम कारावास व 1500-1500 रुपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 17.03.016 को वादिया श्रीमती सरोज पत्नी रामहित निवासिनी खुमानी पुरवा थाना कोतवाली कर्वी जनपद चित्रकूट द्वारा थाना कोतवाली पर सूचना दी गयी कि अभियुक्तगण दिनेश कुमार,अखिलेश कुमार उपरोक्त द्वारा वादिया की राशन की दुकान के बाहर गल्ला डालने को मना करने पर जातिसूचक शब्दों का प्रयोग करते हुए मारपीट,गाली गलौज करना, हाथ पकड़ कर जमीन पर पटक देना ।इस सूचना पर थाना कोतवाली कर्वी में मु0अ0सं0 244/2016 धारा 323,354ब ,504 भा0द0वि0 व 3(1)घ,3(1)ब एससी/एसटी एक्ट पंजीकृत किया गया,जिसकी विवेचना तत्कालीन क्षेत्राधिकारी श्री राजेश कुमार तिवारी द्वारा सम्पादित की गयी। आरोपी के विरुद्ध दिनाँक 01.05.016 को आरोप पत्र माननीय न्यायालय में प्रेषित किया गया।

(3). आज दिनाँक 17.10.2025 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह द्वारा पुलिस लाइन्स चित्रकूट में शुक्रवार की साप्ताहिक परेड की सलामी लेकर परेड का निरीक्षण किया गया। पुलिस अधीक्षक द्वारा परेड में उपस्थित सभी टोलियों/रिक्रूट आरक्षियों को शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ,तत्पर और अनुशासन बनाए रखने के लिए विभिन्न प्रकार के शारीरिक व्यायाम कराए गए, स्वास्थ्य के लाभ के लिए परेड की दौड़ करायी गयी, परेड निरीक्षण के दौरान अधि0/कर्मचारीगण का टर्न आउट चेक किया गया तथा परेड ग्राउण्ड में उपस्थित सभी टोलियों की ड्रिल देखी गयी एवं सुधार हेतु प्रतिसार निरीक्षक पुलिस लाइन को निर्देशित किया गया तथा परेड में शामिल अधिकारी/कर्मचारीगण को अनुशासन, एकरूपता और कर्तव्यनिष्ठा के संबंध में बताया गया। परेड ग्राउंड में आर्मोरर द्वारा शस्त्रों का खोलने जोड़ने व हैन्डलिंग की जानकारी दी गयी।

तत्पश्चात पुलिस अधीक्षक द्वारा परिवहन शाखा जाकर थानों से आयी समस्त चार/दो पहिया वाहनों, 112 पीआरवी (पुलिस रिस्पांस व्हीकल) वाहनों तथा परिवहन शाखा में रखे वाहनों/थानों के वाहनों का निरीक्षण कर प्रभारी परिवहन शाखा को मरम्मत हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये तथा डायल 112 कार्यालय,आवास परिसर, आरटीसी

बैरिक, सीपीसी कैंटीन,मंदिर,भोजनालय, आर्मरी का निरीक्षण किया तथा साफ सफाई हेतु प्रतिसार निरीक्षक को निर्देशित किया गया। क्वार्टर गार्द का निरीक्षण कर सलामी ली गयी।
इस दौरान क्षेत्राधिकारी नगर श्री अरविन्द कुमार वर्मा,क्षेत्राधिकारी कार्यालय श्री यामीन अहमद, प्रतिसार निरीक्षक राम शीष यादव,आरटीसी प्रभारी प्रदीप यादव व अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।

(4). !!आवश्यक सूचना**!!**

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि आगामी कार्तिक मास / दीपावली अमावस्या मेला में आने वाले श्रद्धालुओं की सुरक्षा के दृष्टिगत दिनाँक 18.10.2025 प्रातः 06.00 बजे से 23.10.2025 की रात्रि 12:00 बजे तक भारी एवं मध्यम मालवाहनों (आपातकालीन एवं आवश्यक वस्तुओं के वाहनों को छोड़कर) का कर्वी नगर एवं मेला क्षेत्र के निम्नलिखित मार्गो पर प्रवेश एवं परिवहन/आवागमन पूर्णतः प्रतिबन्धित रहेगा।

1. राष्ट्रीय राजमार्ग -35 पर जीरो प्वाइंट बुन्देलखण्ड एक्सप्रेस-वे से रेहुटिया तक प्रयागराज रोड।
2. राष्ट्रीय मार्ग 731 A पर लोढ़वारा मोड़ से धनुष चौराहा, UP/MP गेट देवांगना घाटी तक।
3. बेड़ी पुलिया चौराहा से निर्मोही अखाड़ा तक।
4. भरतकूप तिराहा से रामशैय्या, संग्रामपुर तिराहा, खोही होते हुये बहुउद्देशीय सहकारी समिति UP/MP बार्डर तक।
5. शिवरामपुर तिराहा से चितरागोकुलपुर तिराहा तक।
6. लैना बाबा तिराहा से संग्रामपुर तिराहा तक।
7. चितरागोकुलपुर तिराहा से यार्डलैण्ड स्कूल UP/MP बार्डर तक।

दिनाँक 23.10.2025 के पश्चात आम जनमानस को सुगम एवं सुरक्षित यातायात उपलब्ध कराये जाने तथा दुर्घटनाओं को रोकने हेतु कर्वी नगर में दिनाँक 24.10.2025 से 30 दिवस तक या नवीन आदेश दिये जाने की तिथि, जो भी पूर्व हो, निम्नांकित विवरण के अनुसार भारी एवं मध्यम मालवाहनों (आपातकालीन एवं आवश्यक वस्तुओं के वाहनों को छोड़कर) का कर्वी नगर में प्रवेश एवं परिवहन/आवागमन पूर्णतः प्रतिबन्धित रहेगा।
1. दिनाँक 19.10.2025 से 23.10.2025 की रात्रि 12:00 बजे तक पर्यटक तिराहा से निर्मोही अखाड़ा तक नो-व्हीकिल जोन घोषित रहेगा।
2. पर्यटक तिराहा एवं निर्मोही अखाड़ा होते हुए जानकीकुंड चिकित्सालय एवं सतना जाने वाले वाहन परिवर्तित मार्ग (धनुष चौराहा, देवांगना घाटी हनुमान धारा रजौला बाइपास) से जाएंगे।
3. प्रातःकाल 06.00 बजे नो इन्ट्री बैरियरों से प्रवेश किये हुये भारी माल वाहन प्रातः06.30 बजे तक प्रत्येक दशा में नो इन्ट्री क्षेत्र से बाहर निकल जायेगें।
4. नगर में वैवाहिक/धार्मिक/त्यौहार/जुलूस/झांकी/शोभा यात्रा/राजनैतिक कार्यक्रमों आदि के दृष्टिगत नो इन्ट्री के समय में परिवर्तन किये जाने पर परिवर्तन की सूचना नो इन्ट्री बैरियर पर ही दी जायेगी

(5). आज दिनाँक-17.10.2025 को राघव प्रेक्षागार पुलिस कार्यालय सोनेपुर में पुलिस अधीक्षक चित्रकूट अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में क्षेत्राधिकारी लाइन्स/कार्यालय/क्राइम श्री यामीन अहमद की अध्यक्षता में SJPU (विशेष किशोर पुलिस इकाई)/ CWC (बाल कल्याण समिति)/AHTU (एन्टी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट) की मासिक गोष्ठी आयोजित की गयी। इस गोष्ठी समस्त थानों के पुलिस बाल कल्याण अधिकारियों को निर्देश दिये गये कि विधि का

उल्लंघन्न करने वाले बालक तथा पीड़ित की जन्मतिथि का सत्यापन आधार कार्ड से न करके विद्यालय के अंक-पत्र, जन्म प्रमाण-पत्र, नगर निकाय, नगर पालिका या मेडिकल परीक्षण कराकर किया जाए। बाल कल्याण इकाई को बताया गया कि यदि कोई नाबालिक पीड़ित/पीड़िता है और उसके साथ कोई वयस्क व्यक्ति नहीं है तो ऐसी स्थिति में बाल कल्याण इकाई के सदस्य द्वारा स्वयं वादी बनकर अभियोग पंजीकृत कराया गया। पीड़िता का तत्काल समय सीम के अन्दर विधि के अनुरुप मेडिकल परीक्षण कराया जाये तथा आर्थित रुप से कमजोर पीड़िताओं को शासन की विभिन्न योजनाओं के तहत लाभ दिलायें। SJPU(विशेष किशोर पुलिस इकाई), CWC (बाल कल्याण इकाई) के कार्यों एवं एन्टी ह्यूमन ट्रैफिकिंग(AHTU) के सम्बन्ध में जानकारी दी गयी। बाल विवाह पर रोक लगाया जाये तथा जनपदीय गठित टीम द्वारा भ्रमण कर बालकों से कराये जा रहे श्रम को प्रतिबंधित कराया जाये और जिनके द्वारा श्रम कराया जा रहा है उनके विरुद्ध विधिक कार्यवाही करायी जाये।

इस गोष्ठी में जिला प्रोबेसन अधिकारी द्वारा बताया गया कि विधि का उल्लंघन्न करने वाले बालकों से अपराधी के तरह व्यवहार न किया जाये, गोष्ठी में उपस्थित सभी बाल कल्याण अधिकारी एवं सदस्यों को बताया गया कि गुमशुदा बच्चों के बरामद होने के बाद उन्हे CWC के सुपुर्द करें, CWC बच्चे के परिजनों की पहचान कर उनके परिजनों के सुपुर्द करेगी। यदि कोई नाबालिक आत्महत्या का प्रयास करता है तो पुलिस ऐसे नाबालिक बच्चो को CWC के सुपुर्द करें एवं CWC ऐसे बच्चों की काउंसलिंग के पश्चात जानकारी करें कि उनके द्वारा ऐसा प्रयास क्यों किया गया है इसके बाद बाद ही परिजनों के सुपुर्द किया जाये।

इस गोष्ठी में बाल संरक्षण अधिकारी श्री सौरभ चंद्र सिंह,प्रभारी निरीक्षक थाना एएचटीयू श्री शिवमूरत, महिला एवं बाल सुरक्षा संगठन प्रभारी श्री जयप्रकाश उपाध्याय व जनपद के बाल संरक्षण से सम्बन्धित अन्य विभागों के सदस्य व अधिकारी/कर्मचारीगण तथा समस्त थानों के बाल कल्यण अधिकारी उपस्थित रहे।

(6). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में चलाये जा रहे अभियान ऑपरेशन मुस्कान के क्रम में थानाध्यक्ष पहाड़ी श्रीमती अनुपमा तिवारी के मार्गदर्शन में थाना पहाड़ी पुलिस ने अपनो से बिछड़े बुजुर्ग व्यक्ति को सकुशल परिजनों के सुपुर्द किया।

उल्लेखनीय है कि दिनाँक 16.10.025 को हीरालाल पुत्र तेजईराम यादव निवासी ग्राम बड़ागाव थाना गोपीगंज जनपद भदोही जो भदोही से मुम्बई जाते समय रेलवे स्टेशन से अपने परिवारीजनों से बिछड़ गए थे जिन्हे आज दिनाँक कस्बा पहाड़ी से जनता के लोगों द्वारा थाना पहाड़ी पर लाया गया। उ0नि0 श्री सत्यनारायण सिंह थाना पहाड़ी द्वारा बुजुर्ग व्यक्ति से सम्पर्क नम्बर प्राप्त कर परिवारीजनों से जरिए दूरभाष सम्पर्क कर थाना पहाड़ी पर बुलाया गया और सकुशल व्यक्ति को उनके सुपुर्द किया गया। बुजुर्ग व्यक्ति को पाकर परिवारीजनों के चेहरे पर लौटी मुस्कान,कहा चित्रकूट पुलिस को धन्यवाद।

(7). पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश महोदय द्वारा चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत माननीय न्यायालय में लम्बित चल रहे वादों में गहन पैरवी कर अपराधियों को अधिक से अधिक सजा कराने हेतु पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन प्रभारी निरीक्षक कोतवाली कर्वी श्री उपेन्द्र प्रताप सिंह एवं पैरोकार आरक्षी प्रशान्त कुमार तथा मॉनिटरिंग सेल प्रभारी प्रभुनाथ यादव व उनकी टीम द्वारा की गयी गहन पैरवी एवं सहायक शासकीय अधिवक्ता श्री सनद मिश्रा द्वारा की गयी प्रभावी प्रस्तुति एवं प्रभावी बहस के फलस्वरूप माननीय न्यायालय विशेष न्यायाधीश एस.सी./एस.टी कोर्ट श्री राममणि पाठक द्वारा आज दिनांक 17.10.2025 को थाना कोतवाली कर्वी में पंजीकृत मु0अ0सं0 244/2016 धारा 504 भादवि 3(1) घ एससी/ एसटी एक्ट के आरोपी

अभियुक्तगण 1. दिनेश कुमार पुत्र रामकृपाल 2. अखिलेश उर्फ पट्टू पुत्र रामकृपाल निवासी दहिनी थाना कोतवाली कर्वी जनपद चित्रकूट को 01 वर्ष के सश्रम कारावास व 1500-1500 रुपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 17.03.016 को वादिया श्रीमती सरोज पत्नी रामहित निवासिनी खुमानी पुरवा थाना कोतवाली कर्वी जनपद चित्रकूट द्वारा थाना कोतवाली पर सूचना दी गयी कि अभियुक्तगण दिनेश कुमार,अखिलेश कुमार उपरोक्त द्वारा वादिया की राशन की दुकान के बाहर गल्ला डालने को मना करने पर जातिसूचक शब्दों का प्रयोग करते हुए मारपीट,गाली गलौज करना, हाथ पकड़ कर जमीन पर पटक देना।इस सूचना पर थाना कोतवाली कर्वी में मु0अ0सं0 244/2016 धारा 323,354ब ,504 भा0द0वि0 व 3(1)घ,3(1)ब एससी/एसटी एक्ट पंजीकृत किया गया,जिसकी विवेचना तत्कालीन क्षेत्राधिकारी श्री राजेश कुमार तिवारी द्वारा सम्पादित की गयी। आरोपी के विरुद्ध दिनाँक 01.05.016 को आरोप पत्र माननीय न्यायालय में प्रेषित किया गया।

(8). श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 के निर्देशन में चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत माननीय न्यायालय में लम्बित चल रहे वादों में गहन पैरवी कर अपराधियों को अधिक से अधिक सजा कराने हेतु पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में प्रभारी निरीक्षक कोतवाली कर्वी श्री उपेन्द्र प्रताप सिंह एवं पैरोकार आरक्षी वेदान्त पाण्डेय,प्रभारी मानिटरिंग सेल श्री प्रभुनाथ यादव एवं उनकी टीम द्वारा की गयी गहन पैरवी एवं वरिष्ठ अभियोजन अधिकारी श्रीमती संगीता सिंह द्वारा की गयी प्रभावी प्रस्तुति एवं प्रभावी बहस के फलस्वरूप माननीय न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/एफटीसी न्यू श्री रवि कुमार दिवाकर द्वारा आज दिनांक 17.10.2025 को कोतवाली कर्वी में पंजीकृत मु0अ0सं0 299/2014 धारा 2/3 गैंगेस्टर एक्ट के अभियुक्त रामनरेश उर्फ नरेश पुत्र सूरजपाल निवासी ठाकुरदीन का पुरवा मजरा संग्रामपुर कोतवाली कर्वी जनपद चित्रकूट को 10 वर्ष का कठोर कारावास और 20 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

घटना का विवरणः-

दिनाँक 18.04.2014 को तत्कालीन प्रभारी निरीक्षक श्री शिवबदन सिंह द्वारा आरोपी अभियुक्त रामनरेश उर्फ नरेश उपरोक्त के विरुद्ध थाना कोतवाली कर्वी में मु0अ0सं0 299/2014 धारा 2/3 गैंगेस्टर एक्ट पंजीकृत कराया गया था। मुकदमें की विवेचना तत्कालीन निरीक्षक श्री शशीन्द्र प्रसाद शुक्ला द्वारा विवेचना को सम्पादित की गयी थी। विवेचक द्वारा दिनाँक 27.10.2014 को आरोपियो के विरुद्ध आरोप-पत्र माननीय न्यायालय में प्रेषित किया गया था।